सेवा मे,

1. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इंचार्ज, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), हरियाणा राज्य में।
2. सहायक शिुक्षता सलाहकार/प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्बाला शहर, गुरूग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, भिवानी, भोडिया खेडा, कैथल, जीन्द, नारनौल, नूंह, पंचकुला, रिवाडी, कुरूक्षेत्र, झज्जर एट गुढा, पलवल, सिरसा, तथा यमुनानगर।

यादि कमाकः- KC/T/APP/प्रोत्साहन भत्ता/2017/4195 दिनांकः- 10.01.2017

विषयः— शिक्षुता योजना में लगे अमले को छात्र–निधी में से प्रोत्साहन भत्ता देने बारे।

****

उपरोक्त विषय के संदर्भ में। शिक्षुता अधिनियम के तहत प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन करने एवं इन रजिस्टर्ड प्रतिष्ठानों में शिक्षुओं की नियुक्ति हेतू सीटें चिन्हित करवाने एवं लगे हुए शिक्षुओं के प्रशिक्षण की निगरानी करने एवं अन्य सबंधित कार्यों के लिए शिक्षुता योजना के कार्यान्यवन में लगे अमले को प्रतिष्ठानों में लगातार सम्पर्क एवं दौरा करना पडता है। ये प्रतिष्ठान दूरी पर स्थित होने के कारण स्टाफ को अपना वाहन अथवा साधन उपयोग करना पडता है तथा दूरी 20 कि0मी0 से कम होने की स्थिति में सरकार के नियमों अनुसार यात्रा भत्ता भी क्लेम नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त अमले को प्रतिष्ठानों से सम्पर्क बनाए रखने हेतू अपने मोबाईल का उपयोग भी करना पडता है। स्थानीय प्रतिष्ठानों का दौरा करने एवं मोबाईल पर खर्च आदि की प्रतिपूर्ति का प्रावधान ना होने की वजह से कार्यरत अमला पूरी लगन से कार्य नहीं करता है तथा दौरा करने से बचता है। इस वजह से शिक्षुता अधिनियम के तहत वांछित लक्ष्य नहीं हो रहे है तथा गत दस वर्षो से शिक्षु लगाने के कार्य में प्रगति नगण्य रही है।

गत वर्षो में भारत सरकार द्वारा शिक्षुता अधिनियम 1961 में संशोधन किए गए है तथा इस वर्ष से National Apprenticeship Promotion Scheme योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत भारत सरकार का वर्ष 2016 से वर्ष 2020 तक कुल 20.00 लाख शिक्षु लगाने का लक्ष्य रखा है ।

गत वर्ष में दो बार आयोजित शिक्षुता परीक्षा में लगभग 5000 उम्मीद्वारों ने ही परीक्षा दी थी जिससे यह ज्ञात होता है कि एक वर्ष में लगभग 5000 शिक्षु ही प्रशिक्षण प्राप्त कर सर्टीफिकेट प्राप्त कर रहे हैं । अतः भारत सरकार द्वारा निधारित 20.00 लाख शिक्षुओं के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस योजना में कार्यरत अमले को कडे परिश्रम करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के मद्देनजर संस्थानों में शिक्षुता योजना के कार्यन्यवन में लगे अमले सभी अप्रैंटिस एवं प्लेसमैंट ऑफिसर, कनिष्ठ अप्रैटिंस एवं प्लेसमैंट ऑफिसर तथा शिक्षुता अनुदेशक को स्थानीय प्रतिष्ठानों में शिक्षुता के कार्य हेतू अपने साधन से आने जाने पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति हेतू सम्बधित संस्थान की छात्र–निधी से 500 रूपये प्रति मास प्रति व्यक्ति प्रोत्साहन भत्ता देने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है:–

1. इस प्रोत्साहन भत्ते का केवल वही कर्मचारी पात्र होगा जो केवल शिक्षुता, प्लेसमैंट एवं फालोअप के कार्य में पूर्ण रूप से कार्यरत हो तथा उस पर कोई भी अन्य कार्य यथा

प्रशिक्षण, स्टोर, ऑफिस कार्य आदि का भार न हो तथा माह में कम से कम 15 प्रतिष्ठानों का दौरा किया हो तथा मासिक प्रगति अच्छी/बहुत अच्छी रही हो।

2. यह प्रोत्साहन भत्ता कर्मचारी को उसी माह में देय होगा जिस माह में कर्मचारी ने अर्जित अवकाश, अवकाश अथवा विभागीय ट्रेनिंग प्राप्त करने अथवा परीक्षा ड्यूटी या अन्य कोई ड्यूटी देने के बावजूद माह में कम से कम 10 कार्य दिवसों को संस्थान में उपस्थित रहकर केवल शिक्षुता एवं प्लेसमैंट सम्बधिंत कार्य किया हो।
3. कर्मचारी इस प्रोत्साहन भत्ते के लिए प्रति माह निश्चित क्लेम फार्म में भरकर जिले के अप्रैटिंस एवं प्लेसमैंट ऑफिसर अथवा सहायक शिक्षुता सलाहकार को आवेदन करेगा।
4. कर्मचारी का मासिक प्रोत्साहन भत्ता क्लेम संबधित संस्थान का प्रधानाचार्य जिले के अप्रैटिंस एवं प्लेसमैंट ऑफिसर अथवा सहायक शिक्षुता सलाहकार के क्लेम फार्म पर प्रति हस्ताक्षर उपरांत ही, स्वीकृत करेगा।

उपरोक्त स्वीकृति आरंभ में एक वर्ष के लिए प्रदान की गई है तथा एक वर्ष उपरांत प्रगति की समीक्षा कर निदेशालय द्वारा इस बारे में आगामी निर्णय लिया जाएगा।

उपरोक्त निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे व इस बारे सभी सम्बधित कर्मचारियों/अधिकारियों को तुरंत नोट करवा दिया जाए।

सलंग्नः— क्लेम फार्म प्रति।

संजीव शर्मा
10/01/2017
उप–शिक्षुता सलाहकार,
कृतेः राज्य शिक्षुता सलाहकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय,
हरियाणा, चण्डीगढ।

पृ0 क0:— KC/T/APP/प्रोत्साहन भत्ता/2017/486 दिनांकः— 10-01-2017

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतू भेजी जाती हैः—

1. सभी अधिकारी, मुख्यालय पर।
2. नोडल अधिकारी वेबसाइट को इस पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतू।
3. PA to SAA/DIT.

संजीव शर्मा
10/01/2017
उप–शिक्षुता सलाहकार,
कृतेः राज्य शिक्षुता सलाहकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय,
हरियाणा, चण्डीगढ।

प्रोत्साहन भत्ता क्लेम फार्म

संस्थान का नामः ______________________________

कर्मचारी/अधिकारी का नाम :______________________________

पदः______________________________

पद के कार्यः____

____

कर्मचारी की प्रगति रिर्पोट शिक्षुता योजनाः

कितने प्रतिष्ठानों का दौरा किया		प्रतिष्ठान रजिस्टर्ड			शिक्षु रजिस्टर्ड		
		गत माह	इस माह नए	कुल	गत माह	इस माह नए	कुल

प्रगति रिर्पोट प्लेसमैंटः

प्रतिष्ठान जिन से सम्पर्क किया गया			नए प्रतिष्ठानों के नाम
गत माह	इस माह नए	कुल	

छात्र/छात्रा नियुक्त				
प्रतिष्ठान का नाम	ट्रेड का नाम	गत माह छात्र नियुक्त	इस माह नए छात्र नियुक्त	कुल छात्र नियुक्त

फालोअपः

ट्रेड का नाम	गत माह फालोअप संख्या	इस माह फालोअप संख्या	छात्र/छात्रा फालोअप	फालोअप रिकार्ड मेनटेन हां/नहीं

कर्मचारी की टिप्पणीः– मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने उपरोक्त कार्य हेतू इस माह में 15 से अधिक प्रतिष्ठानों में निजी रूप से दौरा किया है तथा प्रगति संतोषजनक रही है तथा मैं प्रोत्साहन भत्ते का पात्र बनता हूँ। मेरे पास उपरोक्त कार्य से अतिरिक्त अन्य कोई कार्यभार नहीं हैं।

कर्मचारी के हस्ताक्षरः–.. दिनांकः–..................................

प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक होने अथवा न होने बारे वरिष्ठ कर्मचारी/अधिकारियों की टिप्पणी :–.......

....

JAPO/APO/AAA के हस्ताक्षरः